न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 02 / 387 / 2015

भगवान बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 21.08.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय न्यायालय में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 27.10.2009 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 307, 308 वाके ग्राम जिरावली तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 14.12.2009 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौका की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। उनके द्वारा जवाब पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश वर्ष 2009 से अर्थात 09 वर्ष से प्रचलन में है तथा वकुलाय उक्त आदेश को ताफैसला दावा स्थाई करने बाबत् सहमत भी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी हस्ब सहमति वकुलाय काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 307, 308 वाके ग्राम जिरावली तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 27.10.2009 का प्रचलन दावे के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)